



POLICE COMMISSIONERATE



PRAYAGRAJ

सराहनीय कार्य / प्रेस विज्ञप्ति- दिनांक 16.04.2026

थाना घूरपुर व थाना कौंधियारा की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

थाना घूरपुर व थाना कौंधियारा की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा थाना घूरपुर से संबंधित मु0अ0सं0 145/2025 धारा 191(2)/190/115(2)/352/351(2)/118(1)/110/109 बीएनएस से संबंधित 02 वांछित अभियुक्त 1.दारा सिंह पटेल पुत्र स्व0 राम करन सिंह पटेल निवासी ग्राम चिल्ली थाना घूरपुर जनपद प्रयागराज उम्र करीब 48 वर्ष 2.चन्द्रबली पटेल पुत्र लल्लू सिंह निवासी ग्राम चिल्ली थाना घूरपुर जनपद प्रयागराज उम्र करीब 32 वर्ष को दिनांक- 15.04.2026 को मुखबिर की सूचना पर छोटी बोंगी, नहर पुलिया के पास से गिरफ्तार कर नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक-06.05.2025 को वादी गुलाब सिंह पुत्र दशरथ सिंह निवासी ग्राम चिल्ली थाना घूरपुर जनपद प्रयागराज द्वारा थाना घूरपुर पर दिये गये प्रार्थना पत्र बावत दिनांक- 06.05.2026 को माननीय न्यायालय के आदेश पर तालाब पर बने अतिक्रमण को हटाते समय राजस्व विभाग द्वारा बुलाने पर मेरे भाई राजेश कुमार पटेल(ग्राम प्रधान) के आने पर आरोपीगणों द्वारा एकराय होकर मेरे भाई के साथ लाठी डंडे व धारदार हथियार से मार-पीट कर घायल कर दिया गया तथा मेरे व अन्य परिजन के बचाव करने पर आने पर हमारे साथ भी मार-पीट, गाली-

गलौज व जान से मारने की धमकी दी गयी जिसके संबंध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 145/2025 धारा 191(2)/190/115(2)/352/351(2)/118(1) बीएनएस पंजीकृत किया गया था तथा विवेचना की जा रही थी, तदोपरांत उक्त विवेचना थाना कौंधियारा पर ट्रांसफर हो गयी थी । मुकदमा उपरोक्त में मेडिकल रिपोर्ट व अन्य साक्ष्यों के आधार पर पूर्व में धारा-110 बीएनएस तथा तत्पश्चात धारा-109 बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गयी थी ।

दिनांक-15.04.2026 को थाना घूरपुर व थाना कौंधियारा की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा 02 वांछित अभियुक्त 1.दारा सिंह पटेल पुत्र स्व0 राम करन सिंह पटेल 2.चन्द्रबली पटेल पुत्र लल्लू सिंह उपरोक्त को गिरफ्तार किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1. दारा सिंह पटेल पुत्र स्व0 राम करन सिंह पटेल निवासी ग्राम चिल्ली थाना घूरपुर जनपद प्रयागराज, उम्र करीब 48 वर्ष ।
2. चन्द्रबली पटेल पुत्र लल्लू सिंह निवासी ग्राम चिल्ली थाना घूरपुर जनपद प्रयागराज उम्र करीब 32 वर्ष ।

संबंधित अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0 145/2025 धारा 191(2)/190/115(2)/352/351(2)/118(1)/110/109 बीएनएस थाना घूरपुर कमिश्नरेट प्रयागराज ।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

- 1.30नि0 सुनील कुमार सिंह, थाना कौंधियारा कमिश्नरेट प्रयागराज ।
- 2.30नि0 प्रशि0 सुनील कुमार, थाना कौंधियारा कमिश्नरेट प्रयागराज ।
- 3.30नि0 अनुराग कुमार, थाना घूरपुर कमिश्नरेट प्रयागराज ।
- 4.30नि0 राजेश कुमार राय, थाना घूरपुर कमिश्नरेट प्रयागराज ।
- 5.का0 प्रदीप कुमार, थाना कौंधियारा कमिश्नरेट प्रयागराज ।

थाना होलागढ़ पुलिस टीम द्वारा 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार व 01 बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया

श्रीमान् पुलिस आयुक्त महोदय व अपर पुलिस आयुक्त के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान् पुलिस उपायुक्त गंगानगर व अपर पुलिस उपायुक्त गंगानगर के कुशल पर्यवेक्षण में व सहायक पुलिस आयुक्त सोरांव के कुशल नेतृत्व में गंगानगर-जोन के थाना होलागढ़ पर पंजीकृत मु0अ0सं0-31/26 धारा- 3/5ए/8 गौवध निवारण अधिनियम व धारा-11 पशु क्रूरता अधिनियम से सम्बन्धित 01 वांछित अभियुक्त मुकेश राय उर्फ मिंटू पुत्र नरेन्द्र राय निवासी ग्राम धंगवल पोस्ट नरवे थाना सराय मीर जनपद आजमगढ़ को थाना होलागढ़ पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक-16.04.2026 को थाना होलागढ़ क्षेत्रान्तर्गत दहियावां स्थित लोहन का पुरा पुलिया के पास गिरफ्तार किया गया तथा मुकदमा उपरोक्त से सम्बंधित 01 बाल अपचारी को पुलिस अभिरक्षा में लेकर नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी ।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार उपरोक्त अभियुक्त मुकेश राय उर्फ मिंटू(वाहन स्वामी) व बाल अपचारी द्वारा गोवंशो को डी0सी0एम0 वाहन सं0-UP25 DT 7001 से जनपद प्रतापगढ़ से पशु क्रूरता हेतु कैमूर(बिहार) ले जाने के दौरान दिनांक-10.04.2026 को थाना होलागढ़ क्षेत्रान्तर्गत पश्चिमनारा नहर पुलिया के पास गोवंशो से भरा वाहन फंस गई जिस कारण उपरोक्त अभियुक्त गोवंशो से लदे वाहन को छोड़कर वहां से भाग गये थे, जिसके सम्बंध में थाना होलागढ़ पर मु0अ0सं0-31/26 उपरोक्त पंजीकृत किया गया था ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

मुकेश राय उर्फ मिंटू पुत्र नरेन्द्र राय निवासी ग्राम धंगवल पोस्ट नरवे थाना सराय मीर जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 42 वर्ष ।

सम्बन्धित अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0-31/26 धारा- 3/5ए/8 गौवध निवारण अधिनियम व धारा 11 पशु क्रुरता अधिनियम थाना होलागढ कमिश्नरेट प्रयागराज ।

अभियुक्त मुकेश राय उर्फ मिन्टू का आपराधिक इतिहास ।

1. मु0अ0सं0-187/2006 धारा- 4/10 वन संरक्षण अधिनियम थाना सरायमीर जनपद आजमगढ ।
2. मु0अ0सं0-299/25 धारा-115(2)/351(3)/352 भा0न्या0सं0 थाना सरायमीर जनपद आजमगढ ।
3. मु0अ0सं0-31/26 धारा- 3/5ए/8 गौवध निवारण अधिनियम व धारा 11 पशु क्रुरता अधिनियम थाना होलागढ कमिश्नरेट प्रयागराज ।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 यशवंत कुमार, थाना होलागढ कमिश्नरेट प्रयागराज ।
2. उ0नि0 राकेश कुमार गोंड, थाना होलागढ कमिश्नरेट प्रयागराज ।
3. हे0का0 हीरालाल यादव, थाना होलागढ कमिश्नरेट प्रयागराज ।
4. हे0का0 कमलेश सिंह यादव, थाना होलागढ कमिश्नरेट प्रयागराज ।